

20.2.23

पत्रावली पेश हुई। वरील उभयपक्ष उप.।
गर्भना पत्र 07R॥ CPC शर्माट हीने से वही
का वाद खारिज किया गया, ऐसे में गर्भना
पत्र अस्पष्ट निर्दिष्टाना से पत्रावली का शर्माट
औचित्य नहीं है अतः गर्भना पत्र अस्पष्ट
निर्दिष्टाना से खारिज किया जाता है। पत्रावली
द्वर्ज रजिस्टर से रम टैकर दाखिल दफ्तर
है। निर्णय आज दिनांक 20.2.23 को
उक्त - पापालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

